हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

15-7-24 पत्रावली पेश। हुई पैरोकार तहसीलदार बेगू उपस्थित होकर पत्र क्र.स./भू-अ./2024/2514 दि 5-7-24 की लकडी निलामी रिपोर्ट पेश कि है। निलामी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बोलीदार सुनिल कुमार पिता तुलसीराम धाकड नि. दुकराई की होने से उक्त फर्द निलामी राशि 2000₹ की स्वीकृत की जाती है। तहसीलदार बेगू को पत्र जारी कर उक्त राशि बोलीदार से प्राप्त करा राजकोष मे जमा कराते हुए लकडी बोलीदार को उपलब्ध करावें। राशि जमा अंकन का दाखला तहसील राजस्व लेखाकार के अनुभाग से विधिवत अंकन करवाया जावे। साथ ही प्रकरण मे विपक्षी मुरादखा पिता सुल्तान खा नि. आमला तह. कोटडी न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। जबकि उनके द्वारा मौजा दुकराई की आ.स. 344 मी. 2452/344 भूमि से अवैध रूप से बिना सक्षम स्वीकृति के 24 वृक्ष बबूल के काटे गये जिनका अनुमानित वजन 85 क्विंटल लकडी काटा जाना पत्रावली मे प्रस्तुत पर्चा मौका व रिपोर्ट पटवारी हल्का से सिद्ध होता है। अतः विपक्षी पर 10₹ प्रति वृक्ष के हिसाब से 24 वृक्ष लकडी की जुमाना राशि 240₹ अरोपित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि भी विपक्षी से 240₹ वसूल कर जमा राजकोष कराये जाकर अंकन तहसील राजस्व लेखाकार से करावें। प्रकरण मे अब कोई और कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमहो।

28

2.

(हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 373- दिनांक ::- 15.7.24 / 26.7.24

वास्ते ::-

तहसीलदार, बेगूँ

विषय ::- प्रा0पत्र संख्या 16 / 2006 व अनवान
राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, बेगूँ
बनाम - प्रार्थी
मुराद खॉ पुत्र सुल्तान खां निवासी आम्बा
तहसील कोटडी जिला भीलवाडा -
विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84-86 आर.टी.एक्ट में लकडी नीलामी की स्वीकृति बाबत।

प्रसंग::- आपका पत्र क्रमांक / भू0अ0 / 2024 / 2514 दिनांक 05.07.2024

-:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 16 / 2006 व अनवान राज0सरकार बनाम मुराद खॉ वगै. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84-86 आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा अप्रार्थी से प्राप्त जप्तशुदा लकडी कुल अनुमानित वनज 65 विक्वंटल लकडी को नीलाम किये जाने हेतु आपको जरिये पत्रांक 647 दिनांक 3.12.2007 से लिखा गया था, जिसकी पालना में आज आप द्वारा जरिये प्रसांगिक पत्र से उक्त जप्तशुदा लकडी 65 क्विटंल लकडी को सिपुर्दगार सुरेश कुमार पिता डूँगा धाकड की सिपुर्दगी से प्राप्त करते हुए सर्वाधिक बोलीदार श्री सुनिल पिता तुलसीराम धाकड निवासी ठुकराई की बोली 2000/- अक्षरे दो हजार रूपये रही है जो सर्वाधिक होने से उक्त फर्दनीलामी राशि 2000/- की बोली बोलीदार श्री सुनिल पिता तुलसीराम धाकड निवासी ठुकराई की स्वीकृत की जाती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त राशि बोलीदार से प्राप्त करा जमा राजकोष कराते हुए लकडी बोलीदार को उपलब्ध करावें। राशि जमा अंकन का दाखला तहसील राजस्व लेखाकार के अनुभाग में विधिवत अंकन करवाया जावें।

साथ ही प्रकरण में विपक्षी मूरादखॉ पिता सुल्तान खॉ निवासी आम्बा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा न्यायालय में उपस्थित नहीं आये है, जबकि उनके द्वारा मौजा ठुकराई की आराजी संख्या 344 मी , 2452 / 344 भूमि से अवैध रूप से बिना सक्षम स्वीकृति के 24 वृक्ष ववूल के काटे गये जिनका अनुमानित वजन 65 क्विंटल लकडी काटा जाना पत्रावली मे प्रस्तुत पर्चामौका व रिपोर्ट पटवारी हल्का से सिद्ध होता है। अतः विपक्षी पर 10 रूपये प्रतिवृक्ष के हिसाव से 24 वृक्ष लकडी की जुर्माना राशि 240/- रूपये आरोपित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि भी विपक्षी से 240 रु/- रूपये वसूल कर जमा राजकोष कराये जाकर अंकन तहसील राजस्व लेखाकार में करावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़